परिपत्र संख्या-56/30/2018- जीएसटी

फाइल संख्या 354/290/2018-टीआरयू

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

कर अनुसंधान एकक

नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,

दिनांक 24 अगस्त, 2018

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त/मुख्य आयुक्त/प्रधान आयुक्त/आयुक्त, केन्द्रीय कर (सभी)/प्रधान महानिदेशक/महानिदेशक (सभी)

महोदया/महोदय,

विषय: फैब्रिक्स पर संचित आईटीसी के रिफंड पर लगे प्रतिबंध को हटाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण की बाबत् -

31 जुलाई, 2018 तक के फैब्रिक्स की इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुआ इनपुट टैक्स क्रैडिट के व्यपगत होने के प्रावधान से संबंधित अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 26 जुलाई, 2018 (जिसका उद्देश्य अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28.06.2017 में संशोधन किया जाना था) की प्रयोज्यता और इसके उद्देश्य के बारे में कुछ संदेह किए गए हैं ।

2. उक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) को केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी एक्ट, 2017) की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था । इसमें उन मदों को अधिसूचित किया गया है जिन पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड की अनुमति नहीं है । इस अधिसूचना के अंतर्गत अधिसूचित कुछ मद फैब्रिक्स हैं । इस अधिसूचना में फैब्रिक्स की 10 श्रेणियां आती हैं, यथा ;

क्रम संख्या	टैरिफ मद, शीर्ष, उप शीर्ष या अध्याय	वस्तु का विवरण

(1)	(2)	(3)
1.	5007	सिल्क या सिल्क वेस्ट के बुने हुए फैब्रिक्स
2.	5111 to 5113	ऊन या जानवरों के बाल के बुने हुए फैब्रिक्स
3.	5208 to 5212	सूती बुने हुए फैब्रिक्स
4.	5309 to 5311	अन्य प्रकार के वानस्पतिक, टैक्सटाईल्स फाइबर्स, पेपर यार्न के बुने हुए फैब्रिक्स
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाईल्स सामग्री के बुने हुए फैब्रिक्स
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टैपल फाईबर्स के बुने हुए फैब्रिक्स
6क#	5608	नाटेड नेटिंग ऑफ ट्वाइन, कोर्डेज, या रोप; तैयार की गई फिशिंग नेट्स या अन्य प्रकार की नेट्स, जो कि टैक्सटाईल सामग्री से बनी हो
6ख*	5801	कोर्डूराय फैब्रिक्स
6ग#	5806	नैरो वूवेन फैब्रिक्स, उनसे भिन्न जो शीर्ष 5807 में आते हैं; वार्प से बने नैरो फैब्रिक्स, जिसमें वेफ्ट न हो, जो कि एढेसिव से जोड़े गए हो;
7.	60	निटिड या क्रोचिटेड फैब्रिक्स [सभी वस्तुएं]

*सितम्बर 17 में जोड़ा गया, # नवम्बर 17 में जोड़ा गया ।

3. जीएसटी परिषद की 28वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हो गए आईटीसी के रिफंड को न अनुमति देने का जो प्रतिबंध है उसको इस अधिसूचना के जारी होने के बाद प्राप्त होने वाले इनपुट आपूर्तियों पर से भविष्यलक्षी प्रभाव से हटा लिया जाएगा । साथ में यह भी निर्णय लिया गया था कि जुलाई, 2018 के महीने के जीएसटी के भुगतान के पश्चात विगत में बिना प्रयोग किए पड़े आईटीसी को व्यपगत मान लिया जाएगा । तदनुसार इस निर्णय को लागू करने के लिए अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर) को जारी करके अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में संशोधन कर दिया गया है । गणना को सरल करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि इन परिवर्तनों को 01 अगस्त, 2018 से लागू किया जाएगा ।

4. अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर), के द्वारा अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में निम्नलिखित परन्तुक को जोड़ा गया है :-

"बशर्ते कि,-

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात नीचे दी गई सारणी के क्रम संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6क, 6ख, 6ग और 7 में उल्लिखित वस्तुओं के मामले में 01 अगस्त, 2018 को या उसके बाद से प्राप्त आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होगी; और

उक्त वस्तुओं के मामले में, माह जुलाई, 2018 के और इस माह तक के कर के भुगतान किए जाने के पश्चात 31 जुलाई, 2018 तक अंत:वर्ती आपूर्ति पर प्राप्त संचित इनपुट क्रैडिट, जो कि बिना उपयोग किए गए पड़ी हो, व्यपगत हो जाएगी ।"

5. अधिसूचना संख्या 20/2018-केन्द्रीय कर (दर) के द्वारा किए गए परिवर्तन के संबंध में जो संदेह पैदा किए गए हैं वे इस प्रकार हैं:

(1) क्या यह अधिसूचना यह कहती है कि माह जुलाई, 2018 तक के कर का भुगतान करने के पश्चात सब इनपुट टैक्स क्रेडिट जो बिना उपयोग किए बचा हैं, वे व्यपगत हो जाएंगे?

(2) क्या सेवाओं और पूंजीगत माल से संबंधित अनप्रयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट को भी अनुमति नहीं मिलेगी?

(3) इनका सूती और सिल्क जैसे फैब्रिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा जिनके बारे में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू नहीं होता है?

(4) क्या निर्यात से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट भी व्यपगत हो जाएंगे?

6. इस मामले की जांच-परख की गई है । सीजीएसटी एक्ट, 2017 की धारा 54 में यह प्रावधान है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर अर्थात इनपुट्स पर जीएसटी की दर पूर्णतया निर्मित वस्तुओं पर लगे जीएसटी की दरों से अधिक हो तो इस प्रकार इनपुट्स पर संचित क्रेडिट के रिफंड का प्रावधान किया गया है । हालांकि, धारा 54 (3) का परंतुक (ii), प्रदान करता है कि अधिसूचित वस्तुओं के संबंध में, इस तरह के संचित इनपुट कर क्रेडिट की वापसी की अनुमति नहीं दी जाएगी।अधिसूचना संख्या 5/ 2017- केंद्रीय कर (दर) को इस प्रावधान के अनुसार ही जारी किया गया है और इसमें अन्य बातों के अलावा यह विनिर्दिष्ट है कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुए आईटीसी के रिफंड की अनुमति पैरा 2 में उल्लिखित फैब्रिक्स के बारे में लागू नहीं होगी । अतः अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 28/6/2017 के तहत संचित आईटीसी के रिफंड का प्रतिबंध केवल इनपुट पर संचित हुए आईटीसी के रिफंड के मामले में ही लागू होगा । इस अधिसूचना के कारण

इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई भी प्रतिबंध नहीं लगता है ।

7. इस परन्तुक को अधिसूचना के मुख्य भाग के साथ पढ़ा जाना है । इस संशोधित अधिसूचना को पूरी तरह से पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस परन्तुक का उद्देश्य केवल ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के व्यपगत करने का है जो कि प्रधान अधिसूचना के मुख्य विषय हैं अर्थात उक्त फैब्रिक्स से संबंधित इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुई इनपुट्स टैक्स क्रेडिट । उक्त परन्तुक के उपवाक्य (ii) का शुद्ध-शुद्ध प्रभाव यह है कि यह 31 जुलाई, 2018 से पहले की अवधि के लिए, अधिनियम की धारा 54 के अनुसार रिफंड किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यपगत करने के लिए प्रदान करता है, लेकिन उक्त अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) के द्वारा ऐसा प्रतिबंध लागू न किया गया होता तो और वह भी जुलाई, 2018 तक किए गए जीएसटी के भुगतान के बाद उपयोग में न लाए गए संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की सीमा तक । दूसरे शब्दों में इस संशोधित अधिसूचना के अनुसार माह जुलाई के जीएसटी के भुगतान करने के पश्चात (31 जुलाई, 2018 को या उसके पहले की गई खरीद पर) इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट जिनका की उपयोग न किया गया हो, व्यपगत हो जाएंगे ।

8. चूंकि अधिसूचना संख्या 5/2017- केन्द्रीय कर (दर) इनपुट सेवाओं और पूंजीगत माल के इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती है । अत: अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में अधिसूचना संख्या 20/2018 के द्वारा जोड़े गए इस परन्तुक का कोई प्रभाव इनपुट्स सेवाओं और पूंजीगत माल पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट पर नहीं पड़ेगा ।

9. जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यपगत करने से संबंधित विधायी शक्ति की बात है तो यह इन्वर्टेड स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट्स टैक्स क्रेडिट के रिफंड को इंकार किए जाने की शक्ति से स्वत: ही प्राप्त होती है ।

10. संदेह तो उक्त फैब्रिक के इनपुट्स पर लागू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाले इनपुट्स टैक्स क्रेडिट की राशि की गणना के तरीके को लेकर भी व्यक्त किए गए हैं कि ये तो उपर्युक्त परिवर्तन के कारण व्यपगत हो जाएंगे । इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसी राशि की गणना करने के लिए सीजीएसटी रूल्स के नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र को यथावश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किया जाएगा क्योंकि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड किए जाने वाली राशि के निर्धारण करने में भी लागू होता है । यह राशि माह जुलाई, 2017 से लेकर जुलाई, 2018 तक के लिए निर्धारित की जाएगी {या ऐसी

फैब्रिक्स की संगत अवधि के लिए लागू होगी जिन पर रिफंड को अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में इस प्रविष्टि को शामिल करने के पश्चात रोक दिया गया था} लागू की जाएगी । प्रत्येक आपूर्तिकर्त्ता द्वारा इस सूत्र का प्रयोग करके निर्धारित की गई संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका की माह जुलाई, 2018 के जीएसटी का भुगतान किए जाने के बाद प्रयोग नहीं हुआ हो, व्यपगत हो जाएगी ।

दृष्टांत:

(1) यदि कोई भी निर्माता जो कि केवल मानव निर्मित फाइबर फैब्रिक्स का उत्पादन करता है और उसकी जुलाई, 2017 से जुलाई, 2018 तक की अवधि [या ऐसे फैब्रिक्स की उस सुसंगत अवधि जिन पर रिफंड को अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में इस प्रविष्टि को बाद में जोड़कर रोक दिया गया था] में कुल कारोबार 5 करोड़ रुपए का है । इस पर 5% की दर से देय कर 25 लाख रुपए होता है । यह मानते हुए कि इस अवधि के दौरान इनपुट्स पर ली गई निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट 30 लाख रुपए थी । नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र का प्रयोग करते हुए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित इनुपट टैक्स क्रेडिट 5 लाख रुपए होती है । दूसरे शब्दों में, इस निर्माता ने उस अवधि के दौरान इन्वर्टेड ड्यूटी सट्रक्चर के कारण इनपुट पर 5 लाख रुपये जमा किए हैं। यदि उनके अप्रयुक्त आईटीसी बैलेंस इस राशि से अधिक है, उदाहरण के लिए 10 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये के बराबर आईटीसी ही व्यपगत होगा । हालांकि, अगर किसी भी कारण से, अप्रयुक्त आईटीसी बैलेंस है, 5 लाख रुपये से कम है, उदाहरण के लिए 3 लाख रुपये, तो 3 लाख रुपये के बराबर आईटीसी ही व्यपगत होगा ।

(2) कोई भी निर्माता जो कि, मान लीजिए कि ग्रे मैन मेड फायर फैब्रिक्स और कॉटन फैब्रिक्स का भी निर्माण करता है और माह जुलाई, 2017 से जुलाई, 2018 [या उस फैब्रिक्स की संगत अवधि के लिए जिस पर इस रिफंड को अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) में इस प्रविष्टि को जोड़े जाने के बाद रोक दिया गया था] में कुल कारोबार मैन मेड फैब्रिक्स का 5 करोड़ रुपए और कॉटन फैब्रिक्स का 2 करोड़ रुपए होता है । मैन मेड फायर फैब्रिक्स पर देय कर 25 लाख रुपए और कॉटन फैब्रिक्स पर देय कर 10 लाख रुपए होता है । मैन मेड फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू होता है जबकि कॉटन फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड ड्यूटी फैब्रिक्स लागू नहीं होता है । यह मानते हुए कि इस अवधि में इनपुट्स पर प्राप्त किया गया निवल इनपुट टैक्स क्रैडिट 35 लाख रुपए है, अर्थात,

= {(माल की इन्वर्टेड रेटेड आपूर्ति का कारोबार ÷ समायोजित कुल कारोबार) x निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट } - माल की ऐसी इन्वर्टेड रेटेड आपूर्ति पर देय कर

इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित होने वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट शून्य हो जाएगा (5/7*35-25) इस प्रकार कोई भी राशि व्यपगत नहीं होगी । हालांकि इस मामले में यह मानते हुए कि इनपुट्स पर प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट 42 लाख रुपए है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर संगणित संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट 5 लाख रुपए होगी । (5/7*42-25)

नियम 89 (5) में प्रदान की गई गणना के तरीके को यथावश्यक परिवर्तनों के साथ किया जाएगा।

10.1 जैसा कि दृष्टांत में बताया गया है नियम 89 (5) में निर्धारित सूत्र से यह सुनिश्चित हो जाता है कि पूंजीगत माल और इनपुट सेवाओं से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यपगत नहीं होगी ।

11. हालांकि, किसी विनिर्माता के पास 31.7.2018 को भी पूर्णतया निर्मित वस्तुओं का क्लोजिंग स्टॉक और इनपुट्स हो सकता है । अब एक संदेह यह भी पैदा हुआ है कि क्या इससे भी संबंधित इनपुट टैक्स भी व्यपगत हो जाएगा और इस बात की भी चिंता व्यक्त की गई है कि क्या इससे दोहरा कर नहीं लागू हो जाएगा । इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रस्तावित संशोधन में केवल ऐसे क्रेडिट को व्यपगत होने की बात है जो कि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुआ हो । इसिलए यदि कोई भी विनिर्माता जिसका संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट उक्त अधिसूचना के कारण व्यपगत हो सकता है, के पास 31.07.2018 को कोई स्टॉक बचा रहता है तो ऐसे स्टॉक में निहित इनपुट्स (ऐसे पड़े इनपुट्स समेत) का इनपुट टैक्स क्रेडिट को उक्त सूत्र को लागू किए जाने के लिए निर्धारित निवल इनपुट टैक्स क्रेडिट से बाहर रखा जाएगा । इस उद्देश्य के लिए इस स्टॉक में निहित इनपुट्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट का निर्धारण उस तरीके से किया जाएगा जैसा कि फार्म GST ITC-01 के क्रम संख्या 7 में दिया गया है ।

12. जहां तक उक्त परन्तुक का सूती, सिल्क या अन्य नैचुरल फाईबर फैब्रिक्स, जिन पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लागू नहीं होता है, के बारे में लागू होने की बात है तो इस बारे में यह स्पष्ट किया जाता है कि आईटीसी के व्यपगत होने की उक्त शर्त तभी लागू होगी जब इनपुट्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण संचित हुई हो । उपर्युक्त सूत्र में इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है ।

13. जहां तक निर्यात से संबंधित संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है तो निर्यात पर ऐसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिफंड का निर्धारण अलग से नियम 89 (4) के अंतर्गत किया जाता है । जैसा कि नियम 89 (5), में विनिर्दिष्ट है इस सूत्र के लागू किए जाने से यह सुनिश्चित हो जाता है कि एक्सपोर्ट पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यपगत नहीं होगा क्योंकि जीरो रेटेड आपूर्ति को इस सूत्र से बाहर रखा गया है । इसके अलावा अधिसूचना संख्या 5/2017-केन्द्रीय कर (दर) जीरो रेटेड आपूर्ति पर रिफंड पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है जैसा कि सीजीएसटी परिपत्र संख्या 18/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 16 नवम्बर, 2017 के द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है । अत: यह परन्तुक जीरो रेटेड आपूर्तियों से संबंधित इनपुट टैक्स क्रेडिट पर लागू नहीं होता है । तदनुसार जीरो रेटेड आपूर्ति पर संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट व्यपगत नहीं होगा । यह बात इस सूत्र के लागू किए जाने से सुनिश्चित हो जाती है ।

14. संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट को व्यपगत करने में पालन की जाने वाली प्रक्रिया; कोई भी करदाता व्यक्ति जिसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट इस अधिसूचना के कारण व्यपगत हो सकता है, अपने ऐसे संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि की गणना ऊपर स्पष्ट किए गए तरीके से करेगा । यह राशि, स्वत: आंकलन करने के बाद, अगस्त, 2018 के महीने के जीएसटीआर 3बी रिटर्न में ऐसे व्यक्ति द्वारा भरी जाएगी । यह राशि रिटर्न के कॉलम 4बी (2) में भरी जाएगी [इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि जिसको कि किसी अन्य कारण से वापस किया जाना है] । इस प्रकार व्यपगत हुई संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि का सत्यापन ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले रिफंड (फैब्रिक्स पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण) को भरे जाने के समय सत्यापित की जाएगी । अत: व्यपगत हुए संचित इनपुट टैक्स क्रेडिट का एक विस्तृत गणना पत्र ऐसे करदाता व्यक्ति द्वारा तैयार किया जाएगा और वह उसे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के कारण किए जा रहे अपने पहले रिफंड के दावे के समय प्रस्तुत करेगा ।

15. इस परिपत्र के लागू होने में यदि कोई परेशानी आती है तो उसे बोर्ड की जानकारी में लाया जा सकता है ।

भवदीय,

राहिल गुप्ता

(राहिल गुप्ता)
तकनीकी अधिकारी (टीआरयू)